अध्याय–IV: अन्य कर प्राप्तियाँ

(क) वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0 अधिनियम), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (के0मो0या0 नियमावली), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली), कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 (कै0बा0रो0 अधिनियम), कैरिज बाई रोड नियमावली, 2011 (कै0बा0रो0 नियमावली), तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों के अधीन नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय में तीन अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19[2] सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। स0प0अ0 परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं। स0स0प0अ0 परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व सम्बन्धित स0प0अ0 के पास होता है। संगठनात्मक ढाँचा का विवरण निम्न प्रकार है:

चार्ट 4.1 संगठनात्मक ढाँचा

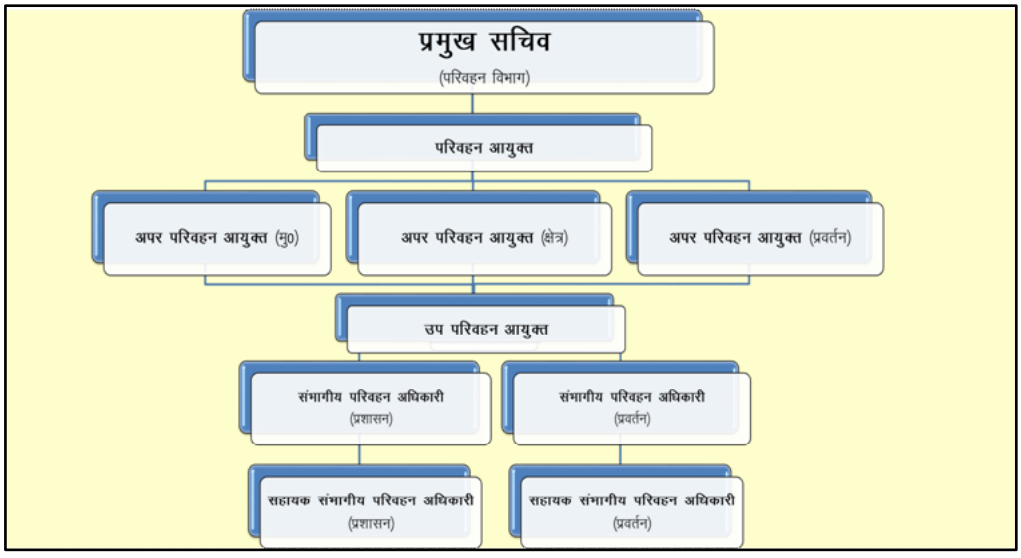

राज्य में 114 प्रर्वतन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं। मुख्यालय पर दो विशेष प्रवर्तन दल तैनात हैं। मुख्यालय स्तर पर एक अपर प0आ0 (प्रवर्तन) तथा मण्लीय[3] स्तर पर छः उप प0आ0 के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण

---

1 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

2 आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी।

3 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

में 10 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जनपद स्तर पर तैनात हैं। प्रवर्तन प्रबंधन पर अपंजीकृत वाहनों/अतिभार वाहन/करापवंचन/राज्य में बिना वैध परमिट के, चालक अनुज्ञप्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र वाहन संचालन और प्रदूषण के मापदण्डों का लागू अधिनियमों एवं नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित अपराधों के जाँच करने का दायित्व है।

विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर यथा, **वाहन** को वाहनों के पंजीकरण, परमिट को जारी/नवीनीकृत करने, कर और शुल्क का आगणन एवं भुगतान करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र को जारी/नवीनीकृत करने, चालान जारी करने एवं शास्ति की धनराशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के स्वचालन हेतु अपनाया गया था। अतः विभाग के पास **वाहन** के रूप में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण यंत्र है। इस साफ्टवेयर में राजस्व के बकाये, बिना परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों की सूची आदि प्रतिवेदन को भी उत्पन्न करने की सुविधा है। यद्यपि, नि0म0ले0प0 द्वारा विगत प्रतिवेदनों में उठाई गयी आपत्तियाँ इंगित करती है कि विभागीय प्राधिकारी इस प्रकार की विशिष्ट प्रतिवेदन का संज्ञान लेने में निरन्तर विफल रहे जिसके कारण वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के प्रकरणों की पुनरावृत्ति हुई।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 76 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 59[4] इकाईयों (78 प्रतिशत) में पंजीकृत 8,18,953 वाहनों में से 89,221 वाहनों (11 प्रतिशत) की नमूना जाँच की। नमूना जाँच के मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 35,895 वाहनों (40 प्रतिशत) के विरूद्ध अनियमितता सम्बन्धी धनराशि ₹ 37.60 करोड़ की है। विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में संग्रहीत सकल राजस्व ₹ 5,148.37 करोड़ में से, लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 4,199.31 करोड़ (82 प्रतिशत) संग्रहीत किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में कर के कम वसूली, अतिरिक्त कर एवं स्वस्थता शुल्क के अनारोपण, शास्ति के अनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 37.60 करोड़ के धनराशि के 670 प्रस्तर प्रकाश में आये जैसा कि **सारणी–4.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी – 4.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	**कम वसूली** • यात्री कर/अतिरिक्त कर • मालकर	334	25.15	66.89
2.	**कर का अपवंचन** • यात्री कर/अतिरिक्त कर • मालकर	58	2.70	7.18
3.	**अन्य अनियमितताएं**[5]	278	9.75	25.93
योग		**670**	**37.60**	

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2017–18 में इंगित किये गये 14,640 मामलों में ₹ 17.79 करोड़ की धनराशि को विभाग (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) ने स्वीकार किया गया। विभाग ने प्रतिवेदित (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) किया कि ₹ 19.85 करोड़ की

[4] एक प्रमुख सचिव, एक परिवहन आयुक्त, 13 स0प0अ0 एवं 44 स0स0प0अ0।

[5] 1. प्रक्रियात्मक खामियाँ।
2. विभागीय आदेशों के अनुपालन में विलम्ब।
3. नियमों के अनुसार प्रशमन न किया जाना।
4. सामान्य भविष्य निधि पासबुक एवं रोकड़ बही, आदि का रख–रखाव का न किया जाना।

वसूली की गयी जिसमें से 27 मामलों में ₹ 1.56 करोड़ वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित है और अवशेष मामले पूर्व वर्षों के हैं।

इस अध्याय में ₹ 4.77 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 1,306 मामलों को निदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया है जैसा कि विवरण **सारणी–4.2** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किये गये हैं। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमनानुसार कार्य कर रही हैं।

सारणी – 4.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण	–	–	–	–	1,786	4.08	1,430	4.00	836	2.18	4,052	10.26
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया	–	–	248	19.20	464	30.36	805	35.69	210	1.95	1,727	87.20

संस्तुतियाँ:

1. **विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा बार–बार प्रतिवेदित कमियों को पुनः न दोहराया जाए।**
2. **विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित अधिक धनराशि के न/कम उदग्रहण किये गये मामलों में वसूली सुनिश्चित करने एवं अनुश्रवण के लिए अधिक प्रभावी उपायों को आरम्भ करना चाहिए।**

4.3 कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत अतिभार माल वाहनों पर शास्ति आरोपित नहीं की गयी

परिवहन विभाग असुरक्षित वाहनों के सड़क पर संचालन को रोकने में विफल रहा तथा अतिभार में निरूद्ध 913 माल वाहनों पर कैरिज बाई रोड (सी0बी0आर0) अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति ₹ 2.16 करोड़ भी आरोपित नहीं किया गया।

सी0बी0आर0 अधिनियम, 2007 अतिभार मोटर वाहनों (माल) पर मो0या0 अधिनियम के अधीन निर्धारित शास्ति के समान शास्ति का आरोपण इस तथ्य के होते हुए भी प्रावधानित करता है कि इस प्रकार के वाहनों से पहले ही यह शास्ति अधिरोपित एवं वसूल की जा चुकी है।

सी0बी0आर0 अधिनियम यह भी प्रावधानित करता है कि व्यापार में संलिप्त कोई अपंजीकृत सामान्य वाहक[6], अपराध के लिए अर्थदण्ड ₹ 4,000[7] प्रति अपराध से दण्डनीय होगा।

---

[6] सामान्य वाहक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो माल की रसीद पर माल वाहक द्वारा ढ़ोये जाने वाले माल के संग्रहण, भंडारण, अग्रेषण व वितरण के व्यवसाय में लिप्त हैं और जिसमें माल बुकिंग कम्पनी, ठेकेदार, अभिकर्ता, दलाल तथा कोरियर सेवा सम्मिलित हैं जो प्रपत्रों/माल/वस्तुओं को किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से सेवायें लेते हुए ऐसे प्रपत्रों, माल व वस्तुओं को दरवाजे–दरवाजे पहुँचाने में लिप्त हैं।

[7] उ0प्र0 अधिसूचना सं0 7/800/30–4–2014–172/89 दिनांक 05 जून 2014।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2014–15 से 2016–17 में सी0बी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत 4,052 अतिभार वाहनों पर शास्ति का आरोपण न किये जाने के कारण सतत् शासकीय राजस्व क्षति ₹ 10.26 करोड़ को उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु, 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 59 स0प0अ0/स0स0प0अ0 में से 50 स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। दिसम्बर 2015 से दिसम्बर 2017 के दौरान, माल वाहनों के अतिभार के 13,398 में से 913 मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), सी0बी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत वाहन स्वामियों/पट्टा धारकों पर ₹ 2.16 करोड़ की शास्ति[8] जो कि मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित शास्ति की धनराशि के समतुल्य थी, के आरोपण में विफल रहे **(परिशिष्ट–XIV)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मई 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया गया। समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018) में, विभाग ने बताया कि सी0बी0आर0 अधिनियम के अर्न्तगत जनपद मुजफ्फर नगर एवं मिर्जापुर में तीन वाहनों को प्रशमित कर ₹ 0.76 लाख शास्ति की वसूली की गई। विभाग ने अग्रेतर बताया कि अधिकतर वाहन जो लेखापरीक्षा प्रेक्षण में शामिल है केवल खदानों से खनिजों का परिवहन बाजार में बिक्री हेतु किये जा रहे हैं। यद्यपि ये वाहन, जो कि खनन विभाग में पंजीकृत है, को सी0बी0आर0 अधिनियम के अधीन दण्डित किये जाने की आवश्यकता को स्पष्ट नहीं करता। अतः प्रकरण पर खनन विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने दोनों भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग तथा परिवहन विभाग के साथ एक गोष्ठी का आयोजन (अप्रैल 2019) किया, जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा संस्तुति की गयी कि लघु खनिजों का अतिभार करने वाले परिवहन वाहन भी असुरक्षित हैं, खनन पट्टा धारकों के परिवहन यानों को सी0बी0आर0 अधिनियम, 2007 के क्षेत्राधिकार के अधीन लाया जा सकता है। खनन विभाग उप खनिजों के परिवहन में लगे हुए वाहनों द्वारा भार–सहित एवं भार–रहित वजन से सम्बन्धित क्षेत्र जोड़कर एम0एम0–11 को डाउनलोड करने हेतु इन ऑन–लाइन आवेदनो को अद्यतन कर सकता है। एम0एम0–11 में सी0बी0आर0 पंजीयन संख्या का भी उल्लेख होना चाहिए।

विभाग ने दिनांक 12 अप्रैल 2019 के अपने उत्तर में, बताया कि समस्त प्रवर्तन दलों को सी0बी0आर0 अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य वाहकों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने के लिए आवश्यक आदेशों को जारी किया गया। जबकि लेखापरीक्षा का मत हैं कि उक्त उप खनिजों को ले जाने वाले सभी वाहनों को समावेशित नही करता है।

संस्तुतिः

परिवहन विभाग उप खनिजों को ढोने वाले अतिभार वाहनों को रोकने के लिए सी0बी0आर0 अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत परिभाषित सामान्य वाहक में पंजीकृत करें, ताकि ऐसे उप खनिजों के अतिभार परिवहन यानों को रोका जा सके।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग परिवहन विभाग के साथ परामर्श कर परिवहन विभाग द्वारा एम0एम0–11 के आधार पर सड़क पर संचालित अतिभार वाहनों को पकड़ने के लिए एक ऑन–लाइन पद्धति विकसित करें।

[8] न्यूनतम अर्थदण्ड दो हजार रुपये व एक हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि अतिभार के प्रति टन पर।

4.4 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 393 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 2.61 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम (रा0प0उ0) का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित रा0प0उ0 के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2013–14 से 2016–17 में 1,727 चूककर्ता वाहनों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण ₹ 87.20 करोड़ की धनराशि को उजागर किया गया था। दिनांक 02 जुलाई 2018 (2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु) की गोष्ठी में लो0ले0स0 के द्वारा की गयी विवेचना के अनुसरण में ₹ 17.36 करोड़ की धनराशि विभाग द्वारा वसूली गयी है।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु, 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 59 स0प0अ0/स0स0प0अ0 में से तीन स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने नगर निगम क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्दिष्ट मार्गों के साथ जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के सूची की पुनः जाँच की, और यह देखा कि फरवरी 2016 से जुलाई 2017 तक तीन राज्य परिवहन उपक्रम (कानपुर नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड, लखनऊ नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड, और आगरा–मथुरा नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड) के अन्तर्गत 590 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों में से 393 बसें इन नगर निगमों के निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहीं थी, जिसके लिए वे ₹ 2.61 करोड़ के अतिरिक्त कर के भुगतान के दायी थे। सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने इन जे0एन0एन0यू0 आर0एम0 बसों के मार्ग–सारणी की जाँच नहीं की, और इनको निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर जैसा कि नगर निगम द्वारा पारिभाषित किया गया है, संचालित होने पर संज्ञान लेने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 2.61 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया, जैसा कि **सारणी–4.3** में वर्णित है।

सारणी–4.3

(₹ धनराशि में)

क्रम सं0	जनपद का नाम		रा0प0उ0 के अन्तर्गत बसों की संख्या	बसों की संख्या जिसमें आपत्ति देखी गयी	अवधि (आरोपणीय अतिरिक्त कर)	कुल अतिरिक्त कर
1	स0प0अ0	कानपुर नगर	270	183	04/16 से 04/17	11518650
2	स0प0अ0	लखनऊ	260	180	04/16 से 06/17	12435750
3	स0स0प0अ0	मथुरा	60	30	02/16 से 07/17	2187000
योग			**590**	**393**		**26141400**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मई 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया गया। समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018), में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि अतिरिक्त कर की वसूली का मुद्दा पहले ही नगरीय परिवहन निदेशालय के अधिकारियों के साथ उठाया जा चुका था। हालांकि, वसूली की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2019)।

(ख): स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

4.5 कर प्रशासन

राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का आरोपण एवं संग्रहण भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0 स्टा0 अधिनियम), निबन्धन अधिनियम, 1908 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों जैसे कि उत्तर प्रदेश में लागू है, के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया जाता है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक (निबन्धन) (म0नि0नि0), स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के प्रमुख होते है। वह निबन्धन कार्य के प्रशासन तथा अधीक्षण हेतु अधिकृत है। म0नि0 की सहायता जिला/मुख्यालय स्तर पर 92 सहायक महानिरीक्षकों (स0म0नि0) तथा तहसील स्तर पर 355 उप निबन्धकों (उ0नि0) द्वारा की जाती है।

संगठनात्मक ढाँचे का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

सारणी–4.2 संगठनात्मक ढाँचा

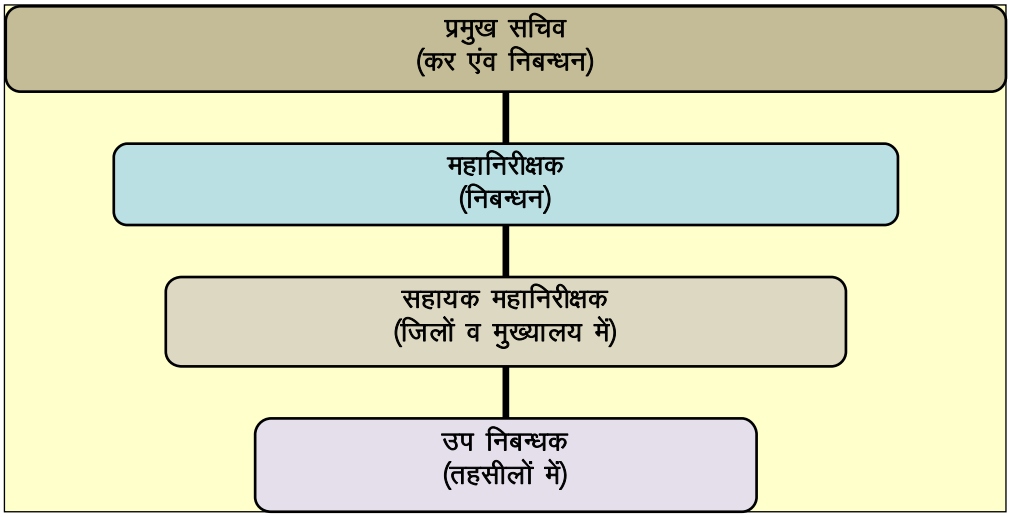

4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा 30,45,393 लेखपत्रों में से 2,78,192 लेखपत्रों (9 प्रतिशत) की नमुना जाँच में देखा गया कि 750 लेखपत्रों (0.30 प्रतिशत) में ₹ 35.77 करोड़ के धनराशि की अनियमितायें स्टाम्प एंव निबन्धन विभाग की 217[1] इकाईयों {355 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से (61 प्रतिशत)} में पायी गयी। विभाग ने 2016–17 के दौरान ₹ 11,564.02 करोड़ का राजस्व (स्टाम्प शुल्कः ₹ 6,540.84 करोड़ एवं निबन्धन फीस तथा अन्य प्राप्तियां ₹ 5,023.18 करोड़) संग्रहीत किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 8,136.52 करोड़ (70 प्रतिशत) संग्रहीत किया। लेखापरीक्षा ने 808 प्रस्तरों में ₹ 35.77 करोड़ की धनराशि की कमियों एंव अनियमितताओं को पाया जैसा कि **सारणी 4.4** में वर्णित है। यह 2017–18 के दौरान विभिन्न उप निबन्धक कार्यालयों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित है।

[1] एक प्रमुख सचिव, कर एंव निबन्धन लखनऊ व 216 उप निबन्धक।

सारणी– 4.4

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	40	0.92	2.57
2.	विलेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	665	27.03	75.57
3.	अन्य अनियमिततायें	103	7.82	21.86
योग		**808**	**35.77**	

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2017–18 में इंगित किए गए 270 मामलों में, ₹ 11.43 करोड़ की धनराशि को विभाग (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) ने स्वीकार किया। विभाग ने (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) प्रतिवेदित किया कि 359 मामलों में ₹ 52 लाख की वसूली की गयी जिसमें से चार मामलों में ₹ एक लाख की वसूली वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित है और शेष मामले पूर्व वर्षों के हैं।

इस अध्याय में ₹ 11.42 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 266 मामलों को निदर्शित किया गया है। इनमें से, कुछ अनियमितताऐं विगत पाँच वर्षो में बार–बार प्रतिवेदित की गयी है जैसा कि **सारणी–4.5** में वर्णित है (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित मामले)। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के है जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते है, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं हुए है। विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।

सारणी– 4.5. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित मामले

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण का प्रकार	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	64	2.43	97	4.35	194	7.78	214	9.66	157	6.05	726	30.27

संस्तुतिः

विभाग को कमियों को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों को रोका जा सके।

4.7 अधिनियमों/नियमों के अनुपालन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (भा0स्टा0 अधिनियम), निबन्धन अधिनियम, 1908 और उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 प्रावधानित करता हैः

(i) निबन्धन फीस का निर्धारित दर से भुगतान; और

(ii) निष्पादको द्वारा स्टाम्प शुल्क का निर्धारित दर से भुगतान।

विभागीय अधिकारियों द्वारा उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में विफलता को नीचे प्रदर्शित किया गया हैः

4.8 आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

5.09 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि को कृषि दर पर ₹ 58.56 करोड़ में गलत ढंग से निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 256.09 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.42 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 परिभाषित करता है कि हस्तान्तरण विलेख पर उस विलेख में उल्लिखित मूल्य अथवा सम्पत्ति का बाजार मूल्य, इसमें जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। अग्रेतर महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0), ने जून 2003 में जारी दिशानिर्देशों, में स्पष्ट किया था कि स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से एक ही आराजी[2] संख्या की सम्पत्ति को भिन्न उद्देश्यों के लिए एक से अधिक टुकडों अर्थात एक को कृषि और दूसरे को गैर कृषि में नहीं बाँटा जाना चाहिए।

प्रेरणा [3] सॉफ्टवेयर में किसी खसरे में बिक्रीत भूमि का विवरण प्राप्त करने के लिए खसरा आधारित खोज की सुविधा उपलब्ध थी। तथापि, भूमि के विक्रय विलेख के निबन्धन पर स्टाम्प शुल्क को निर्धारित करते समय इस विशेषता का उपयोग उप निबन्धको द्वारा नहीं किया गया।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उ0नि0 द्वारा आवासीय भूमि का मूल्यांकन कृषि दर से करने के कारण स्टाम्प शुल्क एंव निबन्धन फीस के कम आरोपण ₹ 30.27 करोड़ की धनराशि के 726 मामलों को प्रदर्शित किया गया (**सारणी 4.5** संर्दभित)।

विभाग द्वारा अपनाए गये सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु, लेखापरीक्षा ने 217 उप निबन्धक कार्यालयों (उ0नि0का0) में से 120 लेखापरीक्षित इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। 120 उ0नि0का0 की लेखापरीक्षा में देखा गया कि 266 (1,06,266 विक्रय विलेखों की जाँच में से) विक्रय विलेखों को कृषि दर पर किया गया। जाँच किये गये 266 विक्रय विलेखों में ₹ 58.56 करोड़ मालियत की 5.09 लाख वर्ग मीटर आवासीय भूमि को म0नि0नि0 के वर्ष 2003 के स्पष्टीकरण की अवहेलना करते हुए कृषि दर से निबन्धित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के रूप में मात्र ₹ 3.98 करोड़ ही आरोपित किया गया था। लेखापरीक्षा ने इन 266 मामलों में अग्रेतर देखा कि (उसी दिन, 12 मामलों में–₹ 0.86 करोड़ एक से 30 दिन के अन्दर, 73 मामलों में–₹ 2.36 करोड़, एवं 31 दिन से 2,167 दिन तक 181 मामलों में–₹ 8.20 करोड़) उसी आराजी का एक भाग पूर्व में, अथवा उसी दिन आवासीय दर से विक्रय किया गया था। अतः, प्रश्नगत भूमि का भी (बिक्रीत भूखण्डों के) मूल्यांकन ₹ 256.09 करोड़ की प्रचलित आवासीय दरों की मालियत से करते हुए ₹ 15.40 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के साथ ही प्रभारित किया जाना चाहिए था। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन तथा **प्रेरणा** सॉफ्टवेयर की विशेषता के कमतर उपयोग के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 11.42 करोड़ का कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट–XV)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (मई 2017 एवं अप्रैल 2018 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी के दौरान (14 नवम्बर 2018), विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि दिनांक 05 जून 2003 के आदेश की समीक्षा की जायेगी और भविष्य में स्थल सत्यापन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करायी जायेगी। इस सन्दर्भ में शासन द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा (अक्टूबर 2018)। अग्रेतर, अपने उत्तर में, विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि प्रारम्भिक रूप से 286 मामलों में से, 20

---

[2] आराजी, खसरा और गाटा संख्या एक ही है जो किसी क्षेत्र में स्थित भूखण्ड की एक विशेष संख्या को दर्शाती है।

[3] निबन्धन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण हेतु **प्रेरणा** (सम्पत्ति मूल्यांकन और निबन्धन प्रायोज्यता) सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा 1 अगस्त 2006 से लागू किया गया।

मामले यथाविधि स्टाम्पित पाये गये। 39 मामलों में निहित धनराशि ₹ 48.52 लाख की धनराशि के वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किए जा चुके हैं जिसमें से ₹ 21.47 लाख की वसूली की गयी थी। शेष मामलों में, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

संस्तुतिः

स्टाम्प एंव निबन्धन विभाग को प्रेरणा सॉफ्टवेयर की उपलब्ध विशेषताओं का उपयोग करते हुए, जहाँ पर एक ही आराजी से भूमि की बिक्री आवासीय दर से एक निश्चित अवधि में की गयी हो की अनिवार्य भौतिक सत्यापन उप निबन्धक अथवा तहसीलदार/पटवारी द्वारा कराने के बाद सम्पत्ति का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।